

उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी, महवा

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज
 भगवानसहाय वनाम खिल्ली वगैरा

नम्बर व तारीख
 अहकाम जो इस
 हुकम की तामील
 में जारी हुए

मु. सं.

आज पत्रावली पत्र हुई वकील
 उर्वे उपस्थित / वाक्ते लसके र्द 11-5-18
 के कैम्प रीदली पत्र हो लब तक T.D.
 के अन्त अस्थाई जारी है

उपखण्ड अधिकारी, महवा

दिनांक 11-05-2018

आज यह पत्रावली न्याय आपके द्वार कैम्प
 रीदली पेश हुई। सायलान उपस्थित नहीं। सायलान का
 वाद डिफ्री हो चुका है इसलिये प्रार्थना पत्र अस्थाई
 निषेधाज्ञा प्रभावहीन हो चुका है। अतः सायलान का
 प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है।
 सायलान के पक्ष में जारी अन्त.अस्थाई निषेधाज्ञा
 दिनांक 28-02-2018 निरस्त की जाती है। पत्रावली
 केवल मुन्वार होकर शामिल मूल वाद रहे।

आदेश मजमे आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
 महवा (जिला दौसा) /
 कैम्प-रीदली